दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 14 सन् 2026
कम्प्यूटर नं०-73 सन् 2026
श्रीमती राधारानी बनाम सुनील आदि

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1)/विशेष न्यायाधीष द0प्र0क्षे0 अधिनियम महोबा
पीठासीन अधिकारी- ध्रुव राय, एच0जे0एस0

UPMB010007092026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-14/2026
कम्प्यूटर नं0-73/2026
श्रीमती राधारानी बनाम सुनील आदि

27.05.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण वास्ते आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी श्रीमती राधारानी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थिनी श्रीमती राधारानी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी0एन0एस0एस0 विरूद्ध विपक्षीगण सुनील आदि प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य रूप से इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रार्थिनी ग्राम सूपा, थाना चरखारी, जिला महोबा की निवासिनी है। प्रार्थिनी दिनांक-11.03.2026 को अपने खेत पर बने मकान पर अपने परिवार सहित घर पर थी कि समय करीब 10.00 बजे रात को वीरपाल पुत्र भोजराज व सुनील व बालकिशन पुत्र वीरपाल, अजय पुत्र रामसिंह, व हरीसिंह पुत्र संतराम, जयसिंह बाबा पुत्र अज्ञात तथा दो व्यक्ति अज्ञात निवासीगण ग्राम सूपा थाना चरखारी जिला महोबा घर में घुस आये। समस्त लोग अपने अपने हाथों में लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, तमंचा लिये थे और प्रार्थिनी को पकड़कर मारपीट करने लगे और कहने लगे कि रूपया जेवरात कहाँ रखे हैं। प्रार्थिनी ने इसका विरोध किया तो प्रार्थिनी को मारपीट करने लगे और बक्शे में रखे 35 हजार रूपया लूट लिये और प्रार्थिनी के चिल्लाने पर प्रार्थिना का लड़का मंगल व सत्यदेव बचाने लगे तो उन्हें भी मारपीट करने लगे, मारपीट में प्रार्थिनी को कई जगह चोटें आयीं तथा लड़को को भी चोटें आईं तथा प्रार्थिनी का हाथ भी टूट गया। उसकी शिकायत प्रार्थिनी ने थाना चरखारी में की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी तथा न ही रिपोर्ट लिखी तथा पुलिस द्वारा गलत प्रार्थिनी के लड़के का चालान कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्टर्ड डाक से की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही डाक्टरी करायी। प्रार्थनी ने स्वयं डाक्टरी करायी है।

3. प्रार्थना पत्र में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कथन करते हुए प्रार्थिनी की ओर से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चरखारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है।

4. अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थिनी श्रीमती राधारानी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

5. सम्बन्धित थाने से प्रकरण के सम्बन्ध में जो आख्या प्राप्त हुई है, उसके अनुसार प्रार्थिनी तथा विपक्षीगण सुनील पुत्र वीरपाल आदि ग्राम सूपा के रहने वाले हैं तथा पारिवारिक हैं। इनके मध्य मकान के बंटवारे का विवाद पहले से चला आ रहा है। दिनांक-10.03.2026 को आवेदिका राधारानी के पुत्र सत्यदेव उर्फ सच्चू, मगंल पुत्रगण रूप सिंह निवासीगण ग्राम सूपा तथा आवेदिका के दामाद आशीष पुत्र चेतराम निवासी तुर्रा थाना पनवाड़ी महोबा तथा आवेदिका के भाई महेश पुत्र धनीराम निवासी चितहरी

थाना लवकुशनगर छतरपुर ने मिलकर विपक्षी वीरपाल पुत्र भोजराज, सुनील पुत्र वीरपाल, सत्यवती पत्नी वीरपाल के साथ मारपीट, गाली गलौज किया था, जिसमें विपक्षीगण को काफी चोटें आयीं थीं। विपक्षी बालकिशन की तहरीर पर उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं०-37/2026 धारा-126(2), 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० बनाम सच्चू आदि पंजीकृत हुआ, जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या-33/2026 दिनांक-17.03.2026 को न्यायालय प्रेषित किया गया। इसी घटना की पेशबंदी में आवेदिका विपक्षीगण को फंसाने की मंशा से झूँठा आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दे रही है। जांच से आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. न्यायालय द्वारा पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों एवं सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया। सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या से यह तथ्य दर्शित होता है कि मामला के पक्षकार आपस में पारिवारिक हैं तथा दोनों पक्षों के मध्य मकान के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा आवेदिका के पुत्रों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। इसी रंजिश के कारण आवेदिका द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिया जाना परिलक्षित हो रहा है। अभियुक्तगण का उद्देश्य संगठित होकर लूट कारित करना हो, ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित भी नहीं हो रहा है, जिसके लिये विशेष न्यायालय का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। इन परिस्थियों में प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि जो भी घटना, घटना दिनांक को होना बतायी जाती है, उसका उद्देश्य संगठित होकर किसी प्रकार की डकैती या लूट करने का नहीं था। अतः प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी श्रीमती राधारानी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-27.05.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०-1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र
अधिनियम, महोबा।
J.O. No. UP2402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.05.27 12:49:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court